अनुदान संख्या 88 - पोत परिवहन मंत्रालय
GRANT No. 88 - MINISTRY OF SHIPPING

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	1447,93,00	2086,54,00	1432,65,23	- 653,88,77
पूरक	Supplementary	638,61,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				637,12,08
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted-				
मूल	Original	623,67,00	623,68,00	231,22,42	- 392,45,58
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				382,03,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹65388.77 लाख) नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹63861.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत थीं ।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹65388.77 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹63861.00 lakhs obtained in November, 2011 and March, 2012 and constituted 31 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-.

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	2745.00	2120.34	2081.24	- 39.10
पु.	R.	– 624.66			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	8103.00	..	..	..
पु.	R.	- 8103.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	56266.00			
पू.	S.	63155.00	77207.00	76454.45	- 752.55
पु.	R.	– 42214.00			
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"				
पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses				
मू.	O.	64322.00			
पू.	S.	703.00	45604.28	44919.29	- 684.99
पु.	R.	- 19420.72			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
जहाजरानी	Shipping				
मू.	O.	5304.00			
पू.	S.	1.00	5341.00	5141.52	- 199.48
पु.	R.	36.00			
मुख्य शीर्ष "3056"	Major Head "3056"				
अंतर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport				
मू.	O.	7613.00			
पू.	S.	2.00	14085.00	14085.00	..
पु.	R.	6470.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grant- in- aid to State Governments				
पु.	R.	257.30	257.30	257.30	..
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"				
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Cooperation with Other Countries				
मू.	O.	440.00			
			327.00	326.43	- 0.57
पु.	R.	- 113.00			

(I) ₹8537.00 लाख का प्रावधान नौ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹8503.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "अंतर्देशीय जल परिवहन - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" - ₹7800.00 लाख; और

(ख) "अंतर्देशीय जल परिवहन - केंद्रीय योजना स्कीम - अंतर्देशीय जल परिवहन का विकास" - ₹303.00 लाख ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजना /स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3052" - "तटीय जहाजरानी - अन्य व्यय" -

(क) "समुद्री दुर्घटना अन्वेषण प्रकोष्ठ" - ₹200.00 लाख पत्तनों के सृजन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे ।

(ख) "समुद्री आपत निधि के लिए अनुदान" - ₹200.00 लाख सरकार से बाहर स्वतंत्र अभिकरण के रूप में समुद्री दुर्घटना अन्वेषण प्रकोष्ठ के सृजन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे ।

(II) मुख्य शीर्ष "3051" - "प्रकाश स्तंभ तथा प्रकाश पोत - प्रकाश स्तंभ - कार्यकारी व्यय - सामान्य आरक्षित निधि" के अंतर्गत ₹7269.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹703.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7972.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, किराया, दरों और करों के बकाया की अदायगी के लिए कोलकाता पत्तन न्यास को निधि का अंतरण किए जाने के कारण ₹350.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा ।

(III) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - पोत परिवहन मंत्रालय" के अंतर्गत ₹663.76 लाख की बचत (₹2745.00 लाख के स्वीकृत

(I) Provision of ₹8537.00 lakhs remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹8503.00 lakhs accounted for under the following major heads :-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Inland Water Transport- Assistance to Public Sector Undertakings – Inland Waterways Authority of India" - ₹7800.00 lakhs; and

(b) "Inland Water Transport- Central Plan Scheme -Development of IWT" - ₹303.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on project/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Other Expenditure" -

(a) "Maritime Accidents Investigation Cell" - ₹200.00 lakhs - due to non-approval of proposal for creation of Posts.

(b) "Grants for Marine Emergency Fund" – ₹200.00 lakhs - due to non-approval of the proposal for creation of the Maritime Casualty Investigation Cell as an independent agency outside Government.

(II) Under Major Head "3051" - "Light Houses and Light Ships - Light Houses - Working Expenses - General Reserve Fund" - the original provision of ₹7269.00 lakhs was augmented to ₹7972.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹703.00 lakhs, which, however, remained unutilised to the extent of ₹350.00 lakhs - due to transfer of fund to Kolkata Port Trust for payment of arrears of Rent, Rates and Taxes.

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Shipping" - saving of ₹663.76 lakhs (against

प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और अधिवक्ताओं से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई ।

the sanctioned provision of ₹2745.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of bills from advocates.

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" - "इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2852" - "Engineering Industries – Transport Equipment Industries"– savings occurred under following heads: -

(का) "अनुसंधान और विकास स्कीमों (पोत निर्माण) के लिए सहायता अनुदान" - ₹425.00 लाख की बचत (₹498.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित संगठनों से स्पष्टीकरण/दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(A) "Grants–in-aid for Research and Development Schemes (Ship Building)" - saving of ₹425.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹498.00 lakhs) was due to non-receipt of clarification/documents from the concerned organizations.

(खा) "ई-अभिशासन" - ₹370.55 लाख की बचत (₹656.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नेटवर्किंग संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई ।

(B) "E-Governance" - saving of ₹370.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹656.00 lakhs) was due to non-approval of proposals for networking.

(गा) "अध्ययनों का आयोजन" - ₹400.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययनों संबंधी कुछ प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(C) "Conducting Studies" - saving of ₹400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-approval of some proposals for studies.

(घा) "गैर-केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के पोत प्रांगणों और निजी क्षेत्र के पोत प्रांगणों को सहायिकी" - ₹41969.00 लाख की बचत (₹54211.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायिकी के दावे के लिए अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।

(D) "Subsidy to non-central PSU Shipyards and Private Sector Shipyards" - saving of ₹41969.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54211.00 lakhs) was due to receipt of incomplete proposals for claiming subsidies.

(V) मुख्य शीर्ष "3051" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3051" - savings occurred under the following heads: -

(का) "मुख्य पत्तन - पत्तन न्यासों को सहायता" -

(A) "Major Ports – Assistance to Port Trusts" -

(क) "कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हल्दिया चैनल में रख-रखाव और तलकर्षण" - ₹9541.27 लाख की बचत (₹29114.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Maintenance and dredging in Haldia channel by Calcutta Port Trust" - saving of ₹9541.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29114.00 lakhs); and

(ख) "कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हुगली नदी का तलकर्षण और रख-रखाव" - ₹8782.40 लाख की बचत (₹12978.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

(b) "River Dredging & Maintenance of river Hoogly by Calcutta Port Trust"- saving of ₹8782.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12978.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोलकाता पत्तन न्यास द्वारा तलकर्षण के लिए लेखा परीक्षा प्रमाणपत्रों के आधार पर कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं ।

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds based on Audit Certificates towards dredging by Kolkata Port Trust.

(खा) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - महानिदेशालय" - ₹137.73 लाख की बचत (₹2275.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "प्रकाश स्तंभ - कार्यकारी व्यय" -

(i) "प्रबंधन" - ₹575.44 लाख की बचत (₹3015.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं ।

(ii) "प्रचालन और अनुरक्षण" - ₹381.07 लाख की बचत (₹2028.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शुष्क गोदी के उपलब्ध न होने की वजह से पोतों का मुख्य अनुरक्षण कार्य किए जाने और शुष्क गोदी में लाए जाने में विलंब होने के कारण हुई ।

(गा) "सामान्य - अनुसंधान और विकास - प्रशुल्क विनियामक प्राधिकरण को अनुदान" - ₹150.30 लाख की बचत (₹714.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई ।

(VI) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग - द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम" के अंतर्गत ₹113.57 लाख की बचत (₹440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय दर में घटबढ़ होने के कारण हुई ।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹76.94 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7126.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹63157.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(B) "Light Houses & Light Ships" –

(a) "Direction and Administration - Directorate General" - saving of ₹137.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2275.00 lakhs); and

(b) "Light Houses - Working Expenses" -

(i) "Management" – saving of ₹575.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3015.50 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ii) "Operation and Maintenance" – saving of ₹381.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2028.50 lakhs) was due to delay in major maintenance work and Dry docking of vessels owing to non-availability of Dry dock.

(C) "General - Research and Development - Grants to Tariff Regularity Authority"- saving of ₹150.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹714.00 lakhs) was due to less demand from Tariff Authority for Major Ports.

(VI) Under Major Head "3605" – "Cooperation with other countries - Bilateral Cooperation Programme" – saving of ₹113.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹440.00 lakhs) was due to exchange rate fluctuations.

(VII) Under one head saving of ₹76.94 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹7126.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹63157.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2852" - "इंजीनियरी उद्योग - परिवहन उपस्कर उद्योग - हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड" - ₹200.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹199.00 लाख था ।

(A) Major Head "2852" - "Engineering Industries - Transport Equipment Industries - Hooghly Dock and Ports Engineers Ltd." - ₹200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹199.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3052" - "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - पोत परिवहन महानिदेशालय" - ₹488.00 लाख । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹371.57 लाख था ।

(B) Major Head "3052" – "General - Direction and Administration - Directorate General of Shipping"- ₹488.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹371.57 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3056" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान" - ₹6438.00 लाख ।

(C) Major Head "3056" - "Assistance to Public Sector and Other undertakings - Grant to Inland Waterways Authority of India" - ₹6438.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अंतर्देशीय जल परिवहन का अंतर्देशीय जल परिवहन विकास" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹257.30 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Inland Water Transport Development of IWT" - excess of ₹257.30 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major head "2552" to functional heads for utilization on projects /schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "5051" पत्तनों तथा प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Capital Outlay on Ports and Lighthouses				
मू.	O.	34137.00			
पू.	S.	1.00	18223.00	17316.61	- 906.39
पु.	R.	–15915.00			
मुख्य शीर्ष "5052" जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	5900.00	4820.00	4683.86	- 136.14
पु.	R.	– 1080.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5075" अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5075" Capital Outlay on Other Transport Services				
मू.	O.	1337.00	201.00	200.95	-0.05
पु.	R.	-1136.00			
मुख्य शीर्ष "6858" इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries				
मू.	O.	1622.00	921.00	921.00	..
पु.	R.	- 701.00			
मुख्य शीर्ष "7051" पत्तनों तथा प्रकाश स्तंभों के लिए कर्ज	Major Head "7051" Loans for Ports and Light Houses				
मू.	O.	19370.00	..	..	..
पु.	R.	-19370.00			

(I) ₹23972.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹23871.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "5051" - "मुख्य पत्तन - तूतीकोरिन पत्तन न्यास - अन्य व्यय"- ₹3501.00 लाख मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे ।

(खा) मुख्य शीर्ष "5075" - "अन्य - अन्य व्यय - सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना" - ₹1000.00 लाख परियोजानाओं के संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे ।

(गा) मुख्य शीर्ष "7051" - "मुख्य पत्तन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - पत्तन न्यास को कर्ज" - ₹19370.00

(I) Provision of ₹23972.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹23871.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "5051"- "Major Ports - Tuticorin Port Trust – Other expenditure" - ₹3501.00 lakhs - due to non-receipt of approval from the Cabinet.

(B) Major Head "5075" - "Others - Other expenditure - Sethusamudram Ship Canal Project" - ₹1000.00 lakhs - due to non-approval of revised cost estimates of the projects.

(C) Major Head "7051" - "Major Ports -Loans to Public Sector and other Undertakings - Loans to Port

लाख विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के संबंध में परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक द्वारा कर्ज करार वापस लिए जाने के कारण थे ।

(II) मुख्य शीर्ष "5051" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "मुख्य पत्तन - कोचीन पत्तन न्यास - परिवहन सुविधाएं और बेड़ा" - ₹2195.00 लाख की बचत (₹9700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वल्लारपदम में अंतर्राष्ट्रीय कन्टेनर पोतान्तरण टर्मिनल को रेल से जोड़ने संबंधी संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई ।

(खा) "लघु पत्तन - अन्य लघु पत्तन" -

(क) "अवतरण सुविधाओं और घाटों का निर्माण" - ₹1081.07 लाख की बचत (₹2572.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्यावरण की स्थिति के प्रतिकूल होने, कवारत्ती और अमीनी में पूर्वी ओर की पोतारोहण सुविधाओं का निर्माण कार्य निष्पादित न किए जाने और कटर सेक्शन ड्रेजर की अधिप्राप्ति पर मुकदमा चलने के कारण हुई ।

(ख) "सुनामी पश्चात के निर्माण कार्य" - ₹5225.99 लाख की बचत (₹9600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खदान उत्पादों की कमी होने और कर्षनावों की अधिप्राप्ति के लिए पुन: निविदा जारी किए जाने के कारण हुई ।

(गा) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत" -

(क) "प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास - प्रकाश स्तंभों का निर्माण और सुधार" - ₹3985.30 लाख की बचत (₹7010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति के अनुमोदन और संविदा की विनिर्दिष्टि के अनुसार कुछ संघटकों की पुष्टि न किए जाने की वजह से राष्ट्रीय स्वचालन पहचान स्कीम की संविदाएं सौंपे जाने में विलंब होने के कारण हुई ।

Trust" – ₹19370.00 lakhs - due to non-approval of projects in respect of Vishakhapatnam Port Trust and withdrawal of loan agreement by Japan Bank for International Cooperation.

(II) Under Major Head "5051" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Major Ports - Cochin Port Trust - Transport Facilities and Fleet" - saving of ₹2195.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9700.00 lakhs) was due to non-approval of revised cost estimates for rail connectivity to International Container Transshipment Terminal at Vallarpadam.

(B) "Minor Ports - Other Small ports" -

(a) "Construction of landing facilities and jetties" - saving of ₹1081.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2572.00 lakhs) was due to adverse environmental conditions, non-execution of work of construction of eastern side embarkation facilities at Kavaratti and Amini and procurement of cutter section dredger going under litigation.

(b) "Post Tsunami Works" - saving of ₹5225.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9600.00 lakhs) was due to shortage of quarry products and retendering for procurement of tugs.

(C) "Light Houses and Light Ships" –

(a) "Construction and Development of Light Houses - Construction and Improvement of Light Houses" - saving of ₹3985.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7010.00 lakhs) was due to delay in approval of Expenditure Finance Committee and awarding of contracts of National Automation Identification Scheme owing to non-confirmation of some components as per specification of contract.

(ख) "नौचालन संबंधी अन्य सहायक हिस्से-पुर्जों का निर्माण और विकास - पोतों की खरीद और प्रतिस्थापन" - ₹574.41 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टेंडर पोत एम वी प्रदीप के प्रतिस्थापन के लिए देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई ।

(b) "Construction and development of other Navigational Aids - Purchase and replacement of vessels" - saving of ₹574.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to late approval for replacement of tender vessel MV Pradeep.

(घा) "सामान्य - निदेशन और प्रशासन - मुख्य इंजीनियर सह-प्रशासक - एएलएचडब्ल्यू" - ₹213.65 लाख की बचत (₹905.00 लाख की स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने और विदेशी दौरों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई ।

(D) "General - Direction and Administration - Chief Engineer cum– Administrator – ALHW" - saving of ₹213.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹905.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims and non-materialization of foreign tours.

(III) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "5052" - "General – Other expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) "ई-अभिशासन" - ₹216.14 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना को नामांकन आधार पर एनआईसीएस को दिए जाने के प्रति आंतरिक वित्त शाखा द्वारा सहमति व्यक्त न किए जाने की वजह से ई-अभिशासन संबंधी स्कीम शुरू न किए जाने के कारण हुई ।

(A) "E-Governance" - saving of ₹216.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to non-taking up of scheme for e-Governance owing to the Project being given to NICS on nomination basis was not agreed to by Internal Finance Wing.

(खा) "भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का विकास" - ₹1000.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर के कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई ।

(B) "Development of Indian Maritime University" – saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to slow progress of work at Indian Maritime University Campus.

(IV) मुख्य शीर्ष "6858" - "अन्य औद्योगिक मशीनरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हुगली डॉक एंड पोट्र्स इंजीनियर्स लि." के अंतर्गत ₹701.00 लाख की बचत (₹1622.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम में संशोधन किए जाने के कारण हुई ।

(IV) Under Major Head "6858"- Other Industrial Machinery Industries- Loans to Public Sector and Other Undertakings - Hoogly Dock and Ports Engineers Ltd." - saving of ₹701.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1622.00 lakhs) was due to revision of the scheme.